भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या522

जिसका उत्तर 06 दिसंबर,2023 को दिया जाना है।

15 अग्रहायण, 1945 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

522. डॉ. रामशंकर कठेरिया:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री जनार्दन मिश्र:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्टिफिशिएल इन्टेलीजेन्स (एआई) के उपयोग और इससे संबंधित वैश्विक नियमों के बारे में कोई योजना/नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एआई के प्रयोग से भविष्य में आम नागरिकों को होने वाले लाभों और उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एआई के प्रयोग से आम नागरिकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कोई योजना/नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क):आर्टिफिशियलइंटेलिजेंसहालकेदिनोंमेंसबसेबड़ाआविष्कारहैऔरसरकारकोउम्मीदहैकिआर्टिफिशियलइंटेलिजेंसभारतकीतेजीसेबढ़तीडिजिटलऔरनवाचारअर्थव्यवस्थाकाएकगतिशीलसहायकहोगा।सरकारचाहतीहैकिएआईहमारेसभीडिजिटलनागरिकोंकेलिएसुरक्षाऔरविश्वासकेसाथउपलब्धहोऔरएआईकेनकारात्मकउपयोगसेबचाजासके।सरकारकामिशनशासन, स्वास्थ्यदेखभाल, कृषि, भाषाअनुवादआदिमेंवास्तविकजीवनकेउपयोगकेमामलोंकेलिएएआईकीक्षमताकाउपयोगकरनाहै, जिससेएआईनागरिकोंऔरसमुदायोंकेलिएफायदेमंदहो
।विशेषज्ञोंकीएकटीमद्वाराबनाईगईएकरिपोर्टइंडियाएआईकेलिएतैयारकीगईहै।रिपोर्टकीप्रतिएमईआईटीवाईवेबसाइटपरउपलब्धहै।

सरकार इस बात से अवगत है कि नैतिक रूप से और सुरक्षित उपयोग के लिए रेलिंग के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता है। हाल ही में ,सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम लागू किया ,जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों के

अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके लिए अवसरों को बढ़ावा देना है। इसकेअलावा, सरकारनेपहलेहीआईटीअधिनियमऔरसूचनाप्रौद्योगिकी
(मध्यवर्तीदिशानिर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता)
नियमोंकेमाध्यमसेडिजिटलनागरिककोउपयोगकर्ताकेनुकसानसेबचानेकेलिएएकढांचास्थापितकियाहैताकियह सुनिश्चितकियाजासकेकिइंटरनेटहमेशासुरक्षितरहेऔरयह
डिजिटलनागरिककेलिएविश्वसनीयऔरजवाबदेहहोगा।

(ख) से (घ): 2018मेंजारीआर्टिफिशियलइंटेलिजेंसपरराष्ट्रीयकार्यनीतिमेंकृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाआदिजैसेक्षेत्रोंमेंअपनेनागरिकोंकेसामनेआनेवालीसामाजिकचुनौतियोंकोहलकरनेकेलिएआर्टिफिशियलइंटेलिजेंसकीक्षमतापरप्रकाशडालागयाहै।हालांकि, एआईमेंनिर्णयलेनेमेंपूर्वाग्रहऔरभेदभाव, गोपनीयताउल्लंघन, एआईसिस्टममेंपारदर्शिताकीकमीऔरइसकेकारणहोनेवालेनुकसानकीजिम्मेदारीकेबारेमेंसवालजैसेमुद्दोंकेकारण नैतिकचिंताएंऔरजोखिमहैं।एआईसेजुड़ीनैतिकचिंताओंऔरसंभावितजोखिमोंकोदूरकरनेकेलिए,
विभिन्नकेंद्रीयऔरराज्यसरकारकेविभागोंऔरएजेंसियोंनेजिम्मेदारएआईविकास,
उपयोगऔरसर्वोत्तमप्रथाओंकोअपनानेकोबढ़ावादेनेकेलिएप्रयासशुरूकिएहैं। इसके अतिरिक्त ,नीति आयोग ने सभी के लिए जिम्मेदार एआई विषय पर पत्रों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। इसकेअतिरिक्त, नीतिआयोगनेसभीकेलिएजिम्मेदारएआईविषयपरपत्रोंकीएकश्रृंखलाप्रकाशितकीहै।इसकेअलावा,
आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (जीपीएआई) परवैश्विकसाझेदारीकेसंस्थापकसदस्यऔरपरिषदअध्यक्षकेरूपमें, भारतएआईकेजिम्मेदारविकासऔरउपयोगकामार्गदर्शनकरनेमेंअग्रणीभूमिकानिभाताहै।

*****